को इस बात की जानकारी है कि विदेशी मूल के तस्करी के माल को, जिसे अधिकांशतः असबाब के रूप में देश में लाया जाता है, दिल्ली में पालिका बाजार और गफ्फार मार्किट में अवैध रूप से बेच दिया जाता है। बहुत से मामलों में बिक्रेताओं के पास सीमा शुल्क की अदायगी दर्शाने वाले बिल और रसीदें भी नहीं होती हैं। दिल्ली सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान किए गए अभिग्रहणों की संख्या और इस तरह पकड़े गए माल के मूल्य का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है :–

| वर्ष | अभिग्रहणों की संख्या | पकड़े गए माल का मूल्य |
|---|---|---|
| | | (लाख रु० में) |
| 1989 | 126 | 56.81 |
| 1990 | 152 | 18.28 |
| 1991* (अक्तूबर तक) | 127 | 20.50 |

*आंकड़े अनन्तिम है।

(च) से (छ) उपलब्ध रिपोर्टों से यह पता चलता है कि विदेशी मूल की तस्करी की वस्तुओं को अवैध तरीके से मद्रास में बर्मा बाजार, कासी चेट्टी काम्पलेक्स आदि; बम्बई में मनीष मार्किट, मुसाफिरखाना एरिया, फाइव स्टार मार्किट, आदि; कलकत्ता में फैन्सी मार्किट, फाइव स्टार मार्किट, मेहता मार्किट आदि, सिलीगुड़ी में विधान मार्किट और दिल्ली में पालिका बाजार और गफ्फार मार्किट आदि जैसे बाजारों में बेचा जाता है। सीमा शुल्क प्राधिकारी तस्करी की वस्तुओं के खुले प्रदर्शन और बिक्री के प्रति चौकस रहते हैं और ऐसी मार्किटों सहित देश के अन्दर छापे मारने/तलाशियां लेने की कार्यवाही करते हैं। समस्त देश में छापों/तलाशियों में गत तीन वर्षों के दौरान पकड़े गए माल के मूल्य का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है :

| वर्ष | छापों/तलाशियों में पकड़ी गई वस्तुओं का मूल्य |
|---|---|
| | (करोड़ रुपयों में) |
| 1989 | 37.90 |
| 1990 | 45.24 |
| 1991* (30 नवम्बर तक) | 30.45 |

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

जिन व्यक्तियों को तस्करी के माल की ऐसी अवैध बिक्री में शामिल पाया जाता है उन पर विभागीय न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों में अर्थदण्ड लगाया जाता है और उपयुक्त मामलों में अदालतों में मुकदमा चलाया जाता है।

**दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यालय का खोला जाना**

1794. **श्री रणजीत सिंह :**
**डा० जितेन्द्र कुमार जैन :**
**श्री मैत्रेय पद्मनाभम :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 नवम्बर, 1991 को "दि टाइम्स आफ इंडिया" में "आई एम०एफ० ओपन्स आफिस इन कैपिटल टूडे" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि यह कार्यालय सरकार के व्यय और बजट घाटे आदि पर निकट से निगरानी रखने के लिए खोला गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस संस्था के बंगलादेश और इंडोनेशिया में भी ऐसे कार्यालय हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भारी कर्ज ले रखे हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संस्था को देश में अपना कार्यालय खोलने देने की अनुमति दिये जाने के क्या कारण थे और इस संस्था को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की गई ; और

(ङ) क्या भारत के प्रतिनिधि द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को रुग्ण एकक का निजीकरण करने का कोई आश्वासन दिया गया था ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर)** : (क) जी, हां। नवम्बर, 1991 से नई दिल्ली में एक निवासी प्रतिनिधि कार्यालय ने काम करना शुरु कर दिया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बंगला देश और इंडोनेशिया में अपने कार्यालय खोले हैं। निवासी प्रतिनिधि कार्यालय कोष समर्थित कार्यक्रमों के किसी संबंध के बिना स्थापित किए जाते हैं। इंडोनेशिया का इस समय कोष के साथ कोई कार्यक्रम नहीं है। कार्यालय खोलने का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और भारत सरकार के बीच आपसी समझ में वृद्धि और सुधार करना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कर्मचारियों को वही सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो नई दिल्ली में तैनात विश्व बैंक के स्टाफ को दी जाती है।

(ङ) जी, हां।

**मुम्बई सीमाशुल्क गृह में अनियमितताएं**

1795. **श्री अनन्त राम जयस्वाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुम्बई सीमाशुल्क गृह के वर्ष 1990-91 के आंतरिक और केन्द्रीय लेखा परीक्षण में वहां की जा रही गड़बड़ियों और अनियमितताओं के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी की गई है ;

(ख) यदि हां, तो की गई गड़बड़ियों और अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है, और क्या यह भी पाया गया है कि उक्त सीमाशुल्क गृह के अधिकारियों ने गलत रिपोर्ट/सूचनाएं देकर सीमाशुल्क बोर्ड को गुमराह किया था ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच करने तथा राजकोष को हुई हानि का पता लगाने का विचार किया है ;

(घ) क्या मुम्बई सीमाशुल्क गृह के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या इसमें अंतर्ग्रस्त राशि को वसूल करने के लिए भी कोई कार्यवाही की गई है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर)** : (क) आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा सीमाशुल्क गृह, मुम्बई का मार्च, 1991 में किए गये निरीक्षण की रिपोर्ट में कतिपय प्रतिकूल टिप्पणियां की गई हैं। बताई गई अनियमितताएं, सीमाशुल्क गृह द्वारा लेखा परीक्षा आपत्तियों के विचाराधीन आंकड़ों के बारे में सूचित करने की पद्धति से संबंधित है।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और एक विवरण सभा पटल पर यथा-समय रख दिया जाएगा।

**मै०जे० केतय सिंथेटिक्स की ओर बकाया ऋण की वसूली**

1796. **श्री अनन्त राम जायस्वाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अक्तूबर 1991 की स्थिति के अनुसार मै० जे० के० सिंथेटिक्स कानपुर उत्तर प्रदेश पर किन-किन बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं का अलग-अलग कितना-कितना ऋण बकाया है;